न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/262

1. लालचन्द आयु 55 वर्ष आत्मज श्री कालू जाति ब्राह्मण निवासी माधोपुर तहसील कनवास जिला कोटा ।
2. प्रेम बाई आयु 60 वर्ष पुत्री श्री कालू पत्नी श्री महावीर उर्फ देवकी नन्दन जाति ब्राह्मण निवीस माधोपुर हाल निवासी देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मोहन लाल आुय 70 वर्ष आत्मज रघुनाथ जाति ब्राह्मण निवासी माधोपुर तहसील कनवास जिला कोटा ।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कनवास जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सम्पूर्णानन्द राय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 14.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कनवास जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम चक जगदीशपुरा में तहसील कनवास जिला कोटा में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 से 2 के संयुक्त खाते में कुल 09 किता की 5.87 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है । उक्त आराजी में वादी व प्रतिवादीगण ने अपने–अपने हिस्से की आराजी का वर्षों पूर्व मौके पर आपसी सहमति से विभाजन कर लिया था तथा मौके पर विभाजित आराजी के मध्य में पत्थरों का कोटा कर रखा है और अपने–अपने हिस्से की आराजी को अलग–अलग काश्त कर रहे हैं परन्तु खाता संयुक्त होने से कोई परेशानियॉ आती है इसलिए खाता पृथक–पृथक कराना आवश्यक हो गया है ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर मुताबिक कब्जे काश्त वादी के 1/2 हिस्से की आराजी का पृथक से खाता व लगान कायत किया जावे तथा

राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराया जावे व विभाजन में प्राप्त आराजी पर नाप कर संभलाई जावे तथा विभाजन में प्राप्त आराजी पर आने–जाने कृषि उपकरण लाने व ले जाने के लिए रास्ता भी उपलब्ध कराया जावे उक्त रास्ते का राजस्व नक्शा ट्रेस में भी अंकन किया जावे ।

4. पक्षकारान ने दिनांक 24.12.2014 को अधीनस्थ न्यायालय में लिखित राजीनामा पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.01.2015 के द्वारा राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 1व 2 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना विधि–विरूद्ध तरीके से निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । रेस्पोडेन्ट कम 1 वादी मोहन लाल ने उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.01.2014 को हाथ से लिखा और न्यायालय में प्रस्तुत किया । वादी ने प्रतिवादीगण को धोखे में रखकर राजीनामा पर हस्ताक्षर करवा लिये । अपीलान्टगण अनपढ व्यक्ति हैं जिनसे धोखे में रखकर राजीनामा पर हस्ताक्षर करवा लिये । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन कया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब वादी अपने खेत पर जान के लिए अपीलान्टगण की आराजी में से 12 फुट चौडा रास्ता जून, 2019 में निकालने लगा तब अपीलान्टगण ने रास्ता निकालने से रेस्पोडेन्ट कम 1 को रोका तो कहने लगा कि मैं उक्त जमीन को दूसरे को बेचान कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारी जमीन पर रास्ता निकालने का आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कनवास नें दिया है । जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 14.06.2019 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया और नकल प्राप्त होने पर उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का एक दावा पेश किया था और कथन किया कि वादी के द्वारा प्रतिवादीगण को सहमति से खाता पृथक–पृथक करवाने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा मना करने पर यह दावा पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे से दावा डिक्री किया है । सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया है । वादी के अभिभाषक श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया एवं श्री महावीर मेरोठा भी थे । अपीलान्ट को धोखे में रखकर यह कथन करते हुए न्यायालय में ले जाया गया कि जमीन की पैमाईश करवानी है और अभिभाषक के पास ले जाकर धोखे से हस्ताक्षर करवाये गये। अपीलान्ट अनपढ व्यक्ति हैं। राजीनामे की बात पर अपीलान्ट ने समझा कि जमीन की पैमाईश होगी । अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट की ओर से एक ही अभिभाषक ने पैरवी की है जो विधि–विरूद्ध है । अपीलान्ट को आराजी कम दी गई है और अपीलान्ट की आराजी में से 12 फिट का रास्ता भी कायम

किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि–विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2015 निरस्त फरमाया जावे । धोखे से प्राप्त डिक्री Nullity होती है । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में एआईआर 1994 (एससी) पेज 853 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा पेश किया है जिसे न्यायालय ने तस्दीक कर राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री किया गया है । राजीनामे से पारित किये गये निर्णय एंव डिक्री के खिलाफ कोई अपील मेन्टेनेबल नहीं होती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2015 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर (एससी) 1982 पेज 1249 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह बरूए राजीनामा पोरत किया गया है । पत्रावली पर एक राजीनामा भी सलंग्न है जिसे अधीनस्थ न्यायालय में बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया है । राजीनामे में वादी मोहन लाल के हस्ताक्षर हैं और प्रतिवादी लालचन्द और प्रेमबाई के भी हस्ताक्षर हैं । प्रतिवादीगण को अभिभाषक श्री महावीर मेरोठा द्वारा तस्दीक किया गया है और वादी को उनके अभिभाषक श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया ने तस्दीक किया है । प्रतिवादीगण की ओर से अभिभाषक श्री महावीर मेरोठा और वादीगण की ओर से जो वकलातनामा पेश किया गया है उस पर अभिभाष श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया के अलावा श्री महावीर मेरोठा का नाम भी अंकित है ।

13. अपीलान्ट का यह कथन है कि उनको धोखे में रखकर गलत रूप से राजीनामे पर हस्ताक्षर करवाये गये हैं । यदि अपीलान्ट ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें धोखे में रखकर गलत रूप से राजीनामा पर हस्ताक्षर करवाये गये हैं तो वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं । राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं होती है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 05.01.2015 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है ।

15. निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.8.19

(भागवंती जैठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 19/262

1. लालचन्द आयु 55 वर्ष आत्मज श्री कालू जाति ब्राह्मण निवासी माधोपुर तहसील कनवास जिला कोटा ।
2. प्रेम बाई आयु 60 वर्ष पुत्री श्री कालू पत्नी श्री महावीर उर्फ देवकी नन्दन जाति ब्राह्मण निवीस माधोपुर हाल निवासी देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. मोहन लाल आुय 70 वर्ष आत्मज रघुनाथ जाति ब्राह्मण निवासी माधोपुर तहसील कनवास जिला कोटा ।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कनवास जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कनवास जिला कोटा ।

वाद संख्याः 07/दावा/2014

मोहन लाल आुय 70 वर्ष आत्मज रघुनाथ जाति ब्राह्मण निवासी माधोपुर तहसील कनवास जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. लालचन्द आयु 55 वर्ष आत्मज श्री कालू जाति ब्राह्मण निवासी माधोपुर तहसील कनवास जिला कोटा ।
2. प्रेम बाई आयु 60 वर्ष पुत्री श्री कालू पत्नी श्री महावीर उर्फ देवकी नन्दन जाति ब्राह्मण निवासी माधोपुर हाल निवासी देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कनवास जिला कोटा ।

---प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कनवास जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 14.08.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री सम्पूर्णानन्द राय एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 05.01.2015 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 14.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

14/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा